

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 443/2026

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 516/2026

Firoz Son Of Hanif, Aged About 28 Years, R/o 20 Madina Nagar,
Kho -Nagoriyan, Jaipur.

-----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Sunil Tyagi & Mr. Saurabh Vaishnav
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

10/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-07, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-02/2020 राजस्थान राज्य बनाम रवि कुमार सैनी व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 20.02.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दौराने विचारण अपीलार्थी/अभियुक्त जमानत पर आजाद रहा है, विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा एक माह के लिए स्थगित की गई है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **10.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **फिरोज पुत्र श्री हनीफ** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J